प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
खनिज भवन,लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिरण,
नई दिल्ली।

संख्या 1185 /एम0–एन0जी0टी0–वाद–प्रयागराज/2022 दिनांक 24 .11.2022

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–364 वर्ष 2022 राम कैलाश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–364 वर्ष 2022 राम कैलाश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.09.2022 के अनुपालन में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ की ओर से आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त आदेश का बिन्दु संख्या–04(सी–6) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से सम्बन्धित है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि श्री राम राज सिंह को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–180, ग्राम–पूरेबैजनाथ, तहसील–बारा, जनपद–प्रयागराज में व्यवस्थित रूप से खनन कार्य बन्द करने तथा नियमित योजना के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज से आख्या प्राप्त की गयी। ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज के पत्र संख्या–2233/खनिज/2022–23 दिनांक 24.11.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसारः– ''जनपद–प्रयागराज की तहसील–बारा स्थित ग्राम–पूरेबैजनाथ के भूखण्ड संख्या–180, रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्रफल में सैण्ड स्टोन (गिट्टी/बोल्डर) का खनन पट्टा श्रीमती रामरती सिंह, पत्नी श्री देवराज सिंह निवासी–अकोरिया, तहसील–बारा, जनपद–प्रयागराज के पक्ष में दिनांक 26.11.2014 से 25.11.2019 तक की अवधि के लिये स्वीकृत था। पट्टा समाप्ति के उपरान्त जिलाधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय पत्र संख्या–1405/खनिज/2019–20 दिनांक 26.11.2019 द्वारा पट्टाधारक को खनन पट्टा समाप्ति के उपरान्त पट्टा शर्तों के तहत अपनी सम्पत्ति खनन पट्टा क्षेत्र से समयान्तर्गत हटाने के निर्देश दिये गये थे। जिलाधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय पत्र संख्या–584/खनिज/2020–21 दिनांक 12.02.2021 द्वारा श्रीमती रामरती सिंह, पत्नी श्री देवराज सिंह निवासी–अकोरिया, तहसील–बारा, जनपद–प्रयागराज को यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत खनन क्षेत्र को पट्टाविलेख में दी गयी शर्तों/पर्यावरण अनापत्ति के अनुसार पट्टाधारक द्वारा भूमि उद्धार किया जा सकता है।

प्रश्नगत खनन क्षेत्र को पुर्नउद्धार किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–2221/खनन/2022–23 दिनांक 23.11.2022 द्वारा श्रीमती रामरती सिंह से आख्या चाही गयी थी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती रामरती सिंह के पत्र दिनांक 24.11.2022 द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र में भूमि उद्धार के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि खनन स्थल में दूर से ओवर बर्डन मिट्टी/पॉण्ड एस मिट्टी तथा पी0पी0जी0सी0एल0 कम्पनी से कुछ पॉण्ड एस लाकर खदान की पटाई की गयी परन्तु बरसात के मौसम में खदान में पानी भर जाने के कारण खदान की

पटाई का कार्य बन्द पड़ गया। खदान में भरे हुये पानी की निकासी करने के लिये मे0 राम राज सिंह को अनुमति दी गयी है, किन्तु अधिशासी अभियन्ता टोन्स पम्प नहर प्रखण्ड, प्रयागराज के द्वारा पानी निकासी के कार्य को पी0पी0जी0सी0एल0 कम्पनी को आदेशित करके बन्द करवा दिया गया है।

उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मे0 राम राज सिंह ने अधिशासी अभियन्ता टोन्स पम्प नहर, प्रखण्ड प्रयागराज व पी0पी0जी0सी0एल0 कम्पनी, बारा, प्रयागराज व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज को प्रार्थना पत्र देकर व ई–मेल संदेश भेजकर खदान से जल निकासी का अनुरोध किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जल निकासी कर ओवर बर्डन मिट्टी डालकरके खदान को समतल करके वृक्षारोपण कार्य तथा भूमि उद्धार का कार्य किया जायेगा।''

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित ज्वाइंट कमेटी द्वारा प्रस्तुत आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शेष अनुपालन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा नही किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 सेशन जैकब)
निदेशक।